रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 31, 2002/ज्येष्ठ 10, 1924
No. 110] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2002/JYAISTHA 10, 1924

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2002

फा. सं. एन. 10/4/2002-पी.पी.सी.— प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम 1990 (1990 का 25) की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निगम, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1)इन विनियमों को प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) [वरिष्ठ सुरक्षा पद] सेवा विनियम 2002 कहा जाएगा।

(2)ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियोग:- ये विनियम इसके साथ संलग्न संबंधित अनुसूचि के कालम 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।

3. पद संख्या और वेतनमान -

पदों की संख्या तथा उनके वेतनमान वे होगें, जो इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम [2] और [3] में विनिर्दिष्ट हैं।

Scanned by CamScanner

4. **चयन की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि -**

चयन की पद्धति, अल्पकालिक संविदा के लिए आयु सीमा, अल्पकालिक संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, परीवीक्षा की अवधि, भर्ती की पद्धति, उक्त अनुसूची के कॉलम 4 से 10 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता -**

वह व्यक्ति -

[क] जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

[ख] जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि निगम का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो निगम किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

6. **शिथिल करने की शक्ति -**

जहां निगम की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन से आदेश द्वारा किसी वर्ग अथवा श्रेणी के व्यक्तियों या पदों के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों को शिथिल कर सकेगा।

7. **व्यावृति:-**

इन विनियमों में कोई भी बात, केन्द्र सरकार द्वारा समय- समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

8. **निर्वचन**- यदि इन विनियमों के निर्वचन से संबधित कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय निगम, केन्द्र सरकार के परामर्श से करेगा।

Scanned by CamScanner

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उप महानिदेशक सुरक्षा]	* 4 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	14,300 - 400 - 18300/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति आधार पर	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस अधिकारी:।जो 14300-400- 18300/- रूपए के वेतनमान में नियमित आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या समकक्ष पद धारण किए हुए हों। या 2. जिन्होंने 10000- 325- 15200/- रूपए के वेतनमान में पुलिस अधीक्षक के ग्रेड में या समकक्ष पद पर 8 वर्ष की नियमित सेवा की हो। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रसार भारती में नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]	लागू नहीं

Scanned by CamScanner

पद नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सहायक महानिदेशक [सुरक्षा]	* 2 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10,000 - 325 - 15200/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति आधार पर। इसके न होने की स्थिति में पुनर्नियोजन द्वारा	प्रतिनियुक्ति: [क] भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक या केन्द्रीय पुलिस संगठन में कमांडेंट या उप कमांडेंट का पद धारण किए हों। या [ख] उप पुलिस अधीक्षक [8000- 275 - 13500/ रूपए] या राज्य पुलिस संगठनों में या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में समकक्ष रैंक के अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा कर ली हो। [ग] उप पुलिस अधीक्षक [6500- 200- 10500/- रूपए] के वेतनमान में या केन्द्रीय पुलिस संगठन में समकक्ष रैंक के अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रसार भारती में नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] पुनर्नियोजन:- भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन अधिकारी/अल्पकालिक कमीशन अधिकारी/सेना में मेजर अथवा समकक्ष रैंक का सेवानिवृत्त रक्षा सेवा अधिकारी/सेवानिवृत्तपुलिस अधीक्षक/कमांडेंट/उप-कमांडेंट रैंक का पुलिस अधिकारी [पुनर्नियोजन सिविल पद के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक के लिए किया जाएगा]	लागू नहीं

Scanned by CamScanner

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उप निदेशक [सुरक्षा]	* 1 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	10,000 - 325 - 15200/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति आधार पर। इसके न होने की स्थिति में पुनर्नियोजन द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> [क] भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक या केन्द्रीय पुलिस संगठन में कमाडेंट या उप कमाडेंट का पद धारण किए हों। या [ख] उप पुलिस अधीक्षक [8000- 275 - 13500/ रूपए] या राज्य पुलिस संगठनों में या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में समकक्ष रैंक के अधिकारी जिन्होंने उस ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा कर ली हो। [ग] उप पुलिस अधीक्षक [6500- 200- 10500/- रूपए] के वेतनमान में या केन्द्रीय पुलिस संगठन में समकक्ष रैंक के अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो। [प्रतिनियुक्ति की अवधि, प्रसार भारती में नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।] <u>पुनर्नियोजन:-</u> भूतपूर्व आपातकालीन कमीशन अधिकारी/अल्पकालिक कमीशन अधिकारी/सेना में मेजर अथवा समकक्ष रैंक का सेवानिवृत्त रक्षा सेवा अधिकारी/सेवानिवृत्तपुलिस अधीक्षक/कमाडेंट/उप-कमाडेंट रैंक का पुलिस अधिकारी [पुनर्नियोजन सिविल पद के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक के लिए किया जाएगा]	लागू नहीं

Scanned by CamScanner

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुरक्षा अधिकारी	* 2 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	6500-200-10500/- रूपए	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पुनर्नियोजन के मामले में दो वर्ष	100 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति आधार पर। इसके न होने की स्थिति में पुनर्नियोजन द्वारा	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> [क] वे अधिकारी जो केन्द्रीय/ राज्य पुलिस संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों या [ख] 5500- 175- 9000/ रूपए के वेतनमान में तीन वर्ष की नियमित सेवा वाले केन्द्रीय/ राज्य पुलिस संगठन के पुलिस निरीक्षक या [ग] 4500- 125- 7000/ रूपए के पदों पर 8 वर्ष की नियमित सेवा वाले पुलिस अधिकारी या समकक्ष <u>पुनर्नियोजन:-</u> [क] सशस्त्र सेनाओं में नायब सुबेदार या समकक्ष रैंक धारण करने वाले कर्मचारियों, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व श्रेणी में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं, को	लागू नहीं

पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन मान	क्या चयन योग्यता के आधार पर होगा या वरिष्ठता के आधार पर	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति के मामलों में भी लागू होंगी	परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति	ग्रेड जिससे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-।	* 4 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	8000 - 275 - 13500 /- रूपए	चयन पद	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	दो वर्ष [प्रोन्नति प्राप्त अधिकारियों के लिए]	[1] 25 प्रतिशत प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा [2] 75 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय पुलिस संगठनों के वे अधिकारी : [क] [1] जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो: या [2] केन्द्रीय पुलिस बल संगठन में उपाधीक्षक/ सहायक कमांडेट का पद धारण किए हो: या [3] केन्द्रीय पुलिस बल संगठन में 6500- 200- 10,500/- के वेतनमान के पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष: या [4] केन्द्रीय पुलिस बल संगठन में 5500- 175- 9000/- रूपए के वेतनमान के पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा या समकक्ष [ख] पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले विभागीय सुरक्षा अधिकारी ग्रेड-2 [वरिष्ठ] के नाम पर भी विचार किया जाएगा और इस पद पर नियुक्ति के लिए उनके चयन के मामले में उक्त पद को प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा। [फीडर श्रेणी में आने वाले विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी लाईन में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्य कर रहे अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें। प्रसार भारती में प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।]	प्रोन्नति पर विचर के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति 1. सदस्य [कार्मिक]- अध्यक्ष 2. उप महानिदेशक [सुरक्षा] - सदस्य *3. उप महानिदेशक [प्रशासन] - सदस्य *सदस्य [कार्मिक] द्वारा नामित किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

									भी उतनी अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा जब तक की वे सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत होने वाले हैं और उसके बाद उनकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन आधार पर जारी रखा जा सकता है। [ख] भूतपूर्व पुलिस कर्मचारी या केन्द्र या राज्य या अर्ध सैनिक बल के निरीक्षक या इससे ऊपर के रैंक के अधिकारी [पुनर्नियोजन सिविल पद के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक तक के लिए किया जाएगा।]	

के. एस. सर्मा, कार्यकारी सदस्य

[विज्ञापन III/IV/163/2002/असा.]

Scanned by CamScanner

PRASAR BHARATI

(BROADCASTING CORPORATION OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2002

F. No. N10/4/2002-PPC.— In exercise of the powers conferred by section 33 read with sub-section (2) of section 9 of the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 (25 of 1990), the Corporation, with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) (Senior Security posts) Service Regulations, 2002

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Application : These regulations shall apply for recruitment to the post specified in column 1 of the relevant schedule to the regulations.
3. Number of posts and scales of pay : The number of posts and their scales of pay shall be as specified in columns 2 and 3 of the schedule aforesaid.
4. Method of selection , age limit, qualification , etc : Method of selection , age limit for short term contract , educational and other qualifications required for direct recruitment on short term contract appointment , period of probation, method of recruitment shall be as specified in columns 4 to 10 of the schedule aforesaid.
5. Disqualification : No person-

   (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   Provided that the Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
6. Power to relax : Where the Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations for any person or category of persons with the prior approval of the Central Government.
7. Saving : Nothing in these regulations shall affect reservation ,relaxation of age limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes and other special categories or persons in accordance with orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.
8. Interpretation : If any question relating to interpretation of these regulations arises, it shall be decided by the Corporation in consultation with the Central Government.

1769/07/02 — 2

Scanned by CamScanner

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion/deputation/absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deputy Director General (Security)	1* * subject to variation dependent on workload	Rs. 14300-400-18300	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	On deputation	Deputation: Police Officers of the Central/State Government/Central Police Organisations: 1. holding the post of Senior Superintendent of Police or equivalent in the scale of Rs. 14300-400-18300 on a regular basis; or 2. with 8 years regular service in the grade of Superintendent of Police or equivalent in the scale of Rs. 10000-325-15200. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in Prasar Bharati shall not ordinarily exceed 5 years).	Not Applicable

Scanned by CamScanner

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Assistant Director General (Security)	2 * * subject to variation dependent on workload	Rs. 10000-325-15200	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Deputation failing which by re-employment	Deputation: (a) Indian Police Service Officers holding posts of Superintendent of Police or Commandant/ Deputy Commandant of Central Police Organisation; or (b) Deputy Superintendent of Police (Rs. 8000-275-13500) or equivalent from the State Police Organisations or Central Police Organisations with 5 years regular service in the grade; or (c) Deputy Superintendent of Police (Rs. 6500-200-10500) or an equivalent from Central Police	Not Applicable

									Organisation with 8 years regular service in the grade. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall ordinarily not exceed 3 years). <u>Re-employment</u>: Ex-Emergency Commissioned Officers/Short Term Commissioned Officers/Retired Defence Service Officers of the rank of Major in the Army or equivalent/Retired Police Officers of the rank of Superintendent of Police/ Commandant/ Deputy Commandant (Re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil posts).	

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment	Grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deputy Director (Security)	1 (subject to variation dependent on workload)	Rs. 10000-325-15200	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	On Deputation failing which by re-employment	Deputation: (a) IPS Officers holding posts of Superintendent of Police or Commandant/Deputy Commandant of Central Police Organisation, or (b) Deputy Superintendent of Police (Rs. 8000-275-13500) or equivalent from the State Police Organisations or Central Police Organisations with 5 years regular service in the grade, or (c) Deputy Superintendent of Police (Rs. 6500-200-10500) or a equivalent from Central Police Organisation with 8 years' regular service in the grade. (Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceeding this appointment in Prasar Bharati shall ordinarily not exceed 3	Not Applicable

Scanned by CamScanner

									years). <u>Re-employment</u>: Ex-Emergency Commissioned Officers/Short Term Commissioned Officers/Retired Defence Service Officers of the rank of Major in the Army or equivalent/Retired State Police Officers of the rank of Superintendent of Police/Commandant/Deputy Commandant (re-employment up to the age of superannuation with reference to Civil posts).	

Scanned by CamScanner

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Security Officer Grade I	4 (subject to variation dependent on workload	Rs. 8000-275-13500	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	2 years (for promotees)	(i) 25% by promotion/ deputation (ii)75% by deputation	Promotion/ Deputation: Officers of the Central Police Organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) holding the rank of Deputy Superintendent/ Assistant Commandant in Central Police Force Organisation; or (iii) with 3 years regular service in posts in the scale of Rs. 6500-200-10500 or equivalent in Central Police Force Organisation; or (iv) with 5 years regular service in posts in the	DPC for considering promotion: 1. Member (Personnel) - Chairman 2. Deputy Director General (Security) - Member *3. Deputy Director General (Administration), -Member * To be nominated by Member (Personnel)

Scanned by CamScanner

									scale of Rs. 5500-175-9000 or equivalent in Central Police Force Organisation (b) The departmental Security Officers Grade II(senior) with 5 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post the same shall be deemed to have been filled by promotion. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation in Prasar Bharati shall ordinarily not exceed 5 years).	

Scanned by CamScanner

Name of post	No. of posts	Scale of pay	Whether selection by merit or Selection-cum-Seniority.	Age limit for direct recruits	Educational & other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment	Grade from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a DPC exists, what is its composition
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Security Officer	2 * *(subject to variation dependent	Rs. 6500-200-10500	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable.	2 years in case of re employment	100% by deputation failing which by re employment	Deputation: (a) Officers holding analogous posts on regular basis in Central / State Police Organisation: or (b) Inspectors of Police in the Central/ State Police Organisation with three years regular service in posts in the scale of Rs.5500-175-9000 © Police officers with 8 years regular service in posts in the scale of Rs.4500-125-7000 or equivalent. Re-employment: (a) Armed Forces Personnel of the rank of Naib, subedar or equivalent who are due to retire or to be transferred to reserve with in a period of one	Not Applicable

									year shall also be given deputation terms upto on whichthey are due for release from the Armed Forces and there after they may be continued on Re-employment basis or (3) Ex-Police personnel or Central or State or Ex-para military officer of the rank of Inspector And above (Re-employment upto the date with reference to the date of superannuation for civil posts)

K.S. SARMA, Executive Trainer
ADVT. III/4/Exty./...

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054